प्रकरण संख्या 38/2012 कुरिया बनाम अब्दुल रहुफ

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए), 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष कालिया जी थे। वादीगण भील होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 जाति से मुसलमान होकर सामान्य जाति के हैं। वादीगण के पूर्वज के समय से सर्वे नंबर 219 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा ग्राम राखोपाडा में स्थित है, जो वादीगण का है, जिसके वक्त सेटलमेन्ट नंबर 420 रकबा 0.29 एयर पड़े। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी अवैध व अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सुने बिना उनके खाते की जमीन अपने नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा ली है, जो निरस्त योग्य है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के अवैध व अनाधिकृत इन्द्राज को हटाया जावे तथा उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा बताया कि प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से उनके कब्जे में होने से उनके नाम अंकित की गयी। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर 3 वाद बिन्दु बनाये एवं वाद बिन्दु अनुसार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.07.2012 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.10.2012 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री हीरालाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से वकील श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट गरीब मजदूर व्यक्ति हैं तथा मजदूरी हेतु बाहर रहते हैं तथा उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि [illegible]स्थ न्यायालय ने खसरा गिरदावरी में वादीगण के नाम [illegible] को नहीं मानकर निर्णय देने में भूल की है तथा वादी[illegible] प्रस्तुत नजीरों का विवेचन नहीं किया है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, [illegible] प्रतिवादीगण सामान्य जाति के सदस[illegible] हैं। ऐसी स्थिति में [illegible] पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है, जिससे अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर रेस्पोन्डेन्टगण के नाम की गयी अवैध व अनाधिकृत प्रविष्टि को हटाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRD 1991 Page 428, RRD 1992 Page 598, RRT 2002 (2) Page 971, RRT 2004 (2) Page 1273, RRT 2011 (2) Page 1318** प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि उनका कब्जा 70 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है तथा 60 वर्षो से रेस्पोन्डेन्टगण खातेदार कृषक हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें **RRT 2019 (1) Page 268, RRT 2011 (2) Page 1170** प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। खसरा गिवदावरी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श डी.2 में खातेदारी के कोलम में अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी रतना वगैरह का नाम दर्ज है। संवत् 2012, 2013 व 2015 में कृषक के रूप में गफूर घांची व 2014 में हरकू भील का नाम भी दर्ज है। प्रदर्श Ex2 नामान्तरकरण संख्या 15/28 दिनांक 24.01.1961 श्री गफूर घांची के संवत् 2012 से 2015 तक लगातार कब्जे के आधार पर स्वीकृत हुआ है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने उचित मानते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रदर्श डी.2 के परिप्रेक्ष्य में और प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खसरा गिरदावरी के आधार पर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार खातेदारी अधिकार देने के लिए सक्षम नहीं हैं (RRD 1992 Page 598)**, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं कब्जे व खसरा गिरदावरी के आधार पर अनुसचित जनजाति के सदस्य की भूमि को सवर्ण के नाम दर्ज होने को उचित मानते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पुनः गहनता से परीक्षण किया जावे और उपरोक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में पक्षकारान को पुनः सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर